का पालन पूर्णतः होना आवश्यक है। उपधारा (1) के आज्ञापक उपबंध के उल्लंघन में उपधारा (3) के अधीन नीलाम दूषित हो जाता है।[1] यदि उपधारा (1) के अधीन कब्जा लेने का आदेश न हुआ हो, या उपधारा (3) के अधीन परित्याग की घोषणा करने का आदेश न हुआ हो, तब खाता राज्य सरकार में निहित नहीं होगा।[2]

भूमिस्वामी उपलब्ध नहीं होने की दशा में तहसीलदार द्वारा उसके खाते के संबंध में इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ की जाना चाहिए; किसी अधिकार अथवा हक अर्जन के अभाव में उस खाते का नामांतरण किसी व्यक्ति के हित में नहीं किया जा सकता।[3]

ए. नियम – म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 338-सी-आर-532-सात-ना (नियम), दिनांक 11 जनवरी 1960 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित नियम बनाए हैं :–

नियम

1. इन नियमों में –
   (क) "संहिता" से तात्पर्य मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) से है;
   (ख) "धारा" से तात्पर्य संहिता की धारा से है।

2. जब परित्यक्त हुई भूमि का हकदार कोई व्यक्ति या भूमिस्वामी उसका दावा संहिता की धारा 176 की उपधारा (2) के अंतर्गत करे तब वह भूमि उसे नीचे लिखे निबंधनों और शर्तों पर लौटा दी जाएगी, अर्थात् :–
   (1) यह कि उसने एक निश्चित दिनांक तक उस खाते से संबंधित भू-राजस्व के बकाया (अवशेष) तथा अन्य देय, यदि कोई हों, भुगतान पर दिए हैं;
   स्पष्टीकरण – धारा 176 की उपधारा (1) के अंतर्गत जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों को वह भूमि भाड़े पर दी गई हो उसके या उनके द्वारा दी गई धनराशि या राशियाँ भू-राजस्व के बकाया में से मुजरा दे दी जाएँगी;
   (2) यह कि वह धारा 176 की उपधारा (1) के अंतर्गत [4][तहसीलदार] द्वारा जिस व्यक्ति को वह भूमि भाड़े पर दी गई थी उसके आधिपत्य में बाधा नहीं डालेगा और भूमि लौटाने के आदेश के दिन खड़ी हुई फसल को गाहने, काटने और हटा ले जाने देगा;
   (3) यह कि यह आदेश के दिनांक के पश्चात् के आगामी कृषि-वर्ष से भूमि का कब्जा ग्रहण करेगा; और
   (4) यह कि वह स्वयं खेती करने के लिए तथा जिस गाँव को भूमिस्वामी छोड़ गया था, उसमें रहने के लिए सहमत है।

177. खातों का निपटारा – (1) यदि कोई ऐसा भूमिस्वामी, जिसकी भूमि पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया हो, या जो भूमि को निवास के प्रयोजनों के लिए धारण करता है, किन्हीं ज्ञात वारिसों के बिना मर जाए, तो [4][तहसीलदार] उसकी भूमि का कब्जा ले लेगा और उसे एक बार में एक वर्ष की कालावधि के लिए पट्टे पर दे सकेगा।

(2) यदि [तहसीलदार] द्वारा भूमि का कब्जा लेने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर कोई दावेदार उस खाते को उसे वापस दिलाए जाने के लिए आवेदन करता है, तो [तहसीलदार], ऐसी जाँच के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, ऐसे दावेदार को उस भूमि का कब्जा दिलवा सकेगा या उसका दावा नामंजूर कर सकेगा।

---

१. कलावती वि. पाचुड़ी, 1996 रा नि 15 (खंड न्यायपीठ)।
२. अल्लादीन वि. म.प्र. राज्य, 1992 रा नि 345 (उच्च न्या.); हीरालाल वि. जगदीश प्रसाद, 1970 रा नि 107; बाबूसिंह वि. म.प्र. राज्य, 1969 रा नि 93।
३. निरोत्तम वि. रामदेनी, 1990 रा नि 366 (उच्च न्या.); रामदीन वि. गिरधारी, 1987 रा नि 125।
४. म.प्र. राजपत्र दिनांक 27 मई 1966 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 492-3447-सात-ना-1, दिनांक 5 फरवरी 1966 द्वारा 'कलेक्टर' के स्थान पर स्थापित।
५. म.प्र. अधिनियम क्र. 24 सन् 1961 की धारा 12 द्वारा इस धारा में जहाँ-कहीं भी आए शब्द 'उपखंड अधिकारी' के स्थान पर शब्द 'तहसीलदार' स्थापित।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित [तहसीलदार] का आदेश अपील या पुनरीक्षण के अध्यधीन नहीं होगा किंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका कि दावा उपधारा (2) के अधीन नामंजूर कर दिया हो, [तहसीलदार] का आदेश संसूचित किया जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, अपना हक स्थापित करने के लिए सिविल वाद फाइल कर सकेगा, और ऐसा वाद फाइल कर दिया जाने की दशा में [तहसीलदार] उपधारा (1) में उपबंधित किए गए अनुसार भूमि को तब तक पट्टे पर देता रहेगा जब तक कि उस वाद का विनिश्चय न हो जाए।

(4) यदि [तहसीलदार] द्वारा उस भूमि का कब्जा लिया जाने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर कोई दावेदार सामने नहीं आता है या यदि वह दावेदार, जिसका कि दावा उपधारा (2) के अधीन नामंजूर कर दिया गया हो, उपधारा (3) में उपबंधित किए गए अनुसार एक वर्ष के भीतर वाद फाइल नहीं करता है, तो [तहसीलदार] मृत भूमिस्वामी के उस खाते में के अधिकार को नीलामी द्वारा बेच सकेगा।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा दावेदार, जो उस भूमि में, जिसके कि संबंध में इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है, अपना हक स्थापित कर देता है, उपधारा (1) के अधीन देय लगान, तथा उपधारा (4) के अधीन उगाहे गए विक्रय आगमों का ही हकदार होगा और उनमें से उस खाते पर भू-राजस्व के मद्दे शोध्य समस्त राशियाँ तथा प्रबंध और विक्रय के व्यय काट लिए जाएँगे।

टिप्पणियाँ

अ. धारा में संशोधन
आ. धारा की व्याप्ति
इ. मृत्यु आवश्यक
ई. अधिक्रामक का कब्जा
उ. भाड़े पर या पट्टे पर
ऊ. दावेदार या दावेदारों की आपत्ति
ए. अपील या पुनरीक्षण वर्जित
ऐ. सिविल वाद का स्वरूप
ओ. आदेश की संसूचना
औ. भूमि के राजगामी होने की प्रक्रिया

अ. धारा में संशोधन — इस धारा के अधीन कार्यवाही करने की अधिकारिता उपखंड अधिकारी को थी। अधिसूचना क्र. 4992-2202-सात-ना-नियम, दिनांक 16 मई 1960 द्वारा उपखंड अधिकारी की यह अधिकारिता तहसीलदार को दे दी गई थी। म.प्र. अधिनियम क्र. 24 सन् 1961 द्वारा इस धारा में ही शब्द "उपखंड अधिकारी" के स्थान पर "तहसीलदार" कर दिया गया, और वह अधिसूचना व्यर्थ हो गई।

आ. धारा की व्याप्ति — यह धारा दो प्रकार की भूमियों से संबंधित है —

(1) वह भूमि जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि प्रयोजनों के लिए निर्धारण किया गया हो; या

(2) जो निवास के प्रयोजनों के लिए धारित हो।

इन दो प्रकार की भूमि धारण करने-वाले भूमिस्वामी के बारे में यदि तहसीलदार को यह मालूम हो कि वह वारिसों के बिना मर गया है या उसके वारिस ज्ञात नहीं हैं तब वारिस के विषय में जाँच करने के पश्चात् वह भूमि पर कब्जा कर लेगा। यह जानकारी तहसीलदार को किसी भी प्रकार मिले, वह इस धारा के अनुसार कार्यवाही करेगा। यह जानकारी किसी नामांतरण के मामले की जाँच करते समय भी प्राप्त हो सकती है।[1]

संयुक्त स्वामित्व की भूमि के एक सह-स्वामी की निस्संतान मृत्यु, इस धारा को आकर्षित करने में आवश्यकरूपेण परिणामित नहीं होगी।[2] ज्ञात वारिसों के बिना मृत भूमिस्वामी के जीवनकाल से उसके निकट संबंधी का भूमि पर कब्जा था और उसके पक्ष में बिल भी थी। इस मामले में बिल साबित न किए जाने पर भी नीलाम द्वारा भूमि का निपटारा अकृत और शून्य अभिनिर्धारित किया गया।[3]

इ. मृत्यु आवश्यक — इस धारा को आकर्षित करने के लिए भूमिस्वामी की मृत्यु हो जाना आवश्यक है। यदि तहसीलदार की जाँच में भूमिस्वामी की मृत्यु का सुनिश्चित सबूत न मिले तब कार्यवाही धारा 176 के अधीन करना चाहिए। कुछ भूमिस्वामी ऐसे हैं जिन की विधि की दृष्टि में मृत्यु

1. रामविलास वि. बच्चू, 1969 रा नि 352।
२. बेलाबाई वि. धर्मकुमार, 1993 रा नि 65 (उच्च न्या.)।
३. नाथूलाल वि. म.प्र. राज्य, 1989 रा नि 216 (उच्च न्या.)।

वि-स. अ़तां.प्र-पृ. 4456

(5)

(3)

होती ही नहीं है। जब भूमिस्वामी मूर्ति हो तब केवल उसके पुजारी की मृत्यु हो जाने के कारण इस धारा के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती।[1]

ई. अधिक्रामक का कब्जा – इस धारा की उपधारा (1) में तहसीलदार को भूमि का कब्जा ले लेने की शक्ति दी गई है। यदि कब्जा लेते समय यह ज्ञात हो कि उस पर किसी अधिक्रामक ने कब्जा कर लिया है तब तहसीलदार को ऐसे व्यक्ति को बेदखल कर के कब्जा लेने की शक्ति होगी।[2] उसे बेदखल करने के पश्चात् ही तहसीलदार को भूमि एक वर्ष के लिए पट्टे पर देना चाहिए।

उ. भाड़े पर या पट्टे पर – धारा 176 तथा 177 में अंतर यह है कि धारा 176 के अधीन तहसीलदार भूमि का कब्जा लेने के पश्चात् भूमि का परित्याग कर चले गए भूमिस्वामी की ओर से एक वर्ष के लिए भाड़े पर देता है, और धारा 177 के अधीन भूमिस्वामी का अस्तित्व न होने के कारण वह सरकार की ओर से उसे पट्टे पर देता है। यदि जीवित भूमिस्वामी को भ्रमवश मृत मान कर पट्टा दे दिया जाए तब वह भूमिस्वामी की ओर से पट्टे पर दिया जाना माना जाएगा। ऐसे पट्टेदार को भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।[3] जिस पक्षकार का कब्जा हो उसे भूमि पट्टे पर दी जा सकती है, परंतु उससे पर्याप्त जमानत लेना चाहिए।[4]

ऊ. दावेदार या दावेदारों की आपत्ति – तहसीलदार द्वारा कब्जा लेने के तीन वर्ष के भीतर मृत भूमिस्वामी का कोई भी वारिस या जिसे धारा 164 के अधीन या अन्य किसी विधि के अधीन मृत भूमिस्वामी की भूमि पर हक प्राप्त हो, तहसीलदार के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। यह दावा एक से अधिक दावेदारों द्वारा भी प्रस्तुत हो सकता है। तहसीलदार ऐसे दावे या दावों की जाँच करेगा और उन्हें मंजूर या नामंजूर कर सकेगा। मंजूर करने की दशा में तहसीलदार अधिकारी व्यक्ति को कब्जा लौटा देगा। उपधारा (2) के अधीन दावा प्रस्तुत होने पर उसकी जाँच करना आवश्यक है। ऐसी दशा में तहसीलदार की उपधारा (4) के अधीन कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं है।[5]

ए. अपील या पुनरीक्षण वर्जित – उपधारा (2) के अधीन दावेदारों का दावा नामंजूर करने पर, या अनेक में से एक दावेदार का दावा मंजूर कर के अन्यों का नामंजूर करने के आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण वर्जित है। असफल दावेदार को केवल सिविल वाद फाइल करने का उपचार प्राप्त है।[6] परंतु यदि तहसीलदार ने जाँच किए बिना आदेश दिया हो, तब अपील या पुनरीक्षण वर्जित नहीं होगा।[7]

ऐ. सिविल वाद का स्वरूप – हक की स्थापना के जिस सिविल वाद का संकेत उपधारा (3) में किया गया है वह राज्य सरकार के विरुद्ध फाइल किया जाएगा। जब अनेक दावेदार हों तब राज्य सरकार के साथ-साथ ये भी पक्षकार बनाए जाएँगे। परंतु राज्य सरकार को पक्षकार बनाए बिना हक की घोषणा प्राप्त करना व्यर्थ होगा।[8] यह वाद राज्य सरकार और दावेदारों के बीच का विवाद है, अतएव सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 के अधीन सूचना का निर्वाह कराना आवश्यक है।

ओ. आदेश की संसूचना – सिविल वाद के लिए परिसीमा आदेश की संसूचना से एक वर्ष विहित की गई है। 'आदेश की संसूचना' आदेश के परिणाम की संसूचना नहीं मानी जा सकती, आदेश की संसूचना तभी दी गई मानी जाएगी जब आदेशों के आधार भी संसूचित किए जाएँ।[9]

औ. भूमि के राजगामी होने की प्रक्रिया – राज्य भूमि का सार्वभौम स्वामी माना गया है। जब किसी भूमिस्वामी की मृत्यु पर उसकी भूमि पर का उसका अधिकार धारा 164 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति पर न्यागमित नहीं होता, तब वह राजगामी हो जाती है। इस धारा के उपबंध व्यक्तियों के अधिकारों

---

१. थावरजी वि. भेरू, 1963 रा नि 730।
२. रामसेवक वि. रामकिशोर, 1967 रा नि 410।
३. अंबाराम वि. कलेक्टर, रतलाम, 1962 रा नि 105।
४. गयाप्रसाद वि. हरलाल, 1974 रा नि 231।
५. राधेश्याम वि. शासन, 1961 रा नि 481।
६. अवधप्रसाद वि. अम्बिकाप्रसाद, 1969 रा नि 457।
७. प्राणोबाई वि. म.प्र. राज्य, 1973 रा नि 101।
८. राधेश्याम वि. शासन, 1968 रा नि 481।
९. मालोजीराव वि. म.प्र. राज्य, 1969 रा नि 201 = 1969 जे एल जे 403 (उच्चतम न्या.)।